

झारखण्ड अभियोजन सेवान्तर्गत सहायक लोक अभियोजक (बैकलॉग भर्ती) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या-05/2025) के संबंध में आवश्यक सूचना।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखण्ड अभियोजन सेवान्तर्गत सहायक लोक अभियोजक (बैकलॉग भर्ती) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या-05/2025) दिनांक-13.12.2025 को झारखण्ड राज्य के राँची जिले में निम्न कार्यक्रमानुसार आयोजित की जायेगी :-

दिनांक	प्रथम पत्र (पूर्वाह्न 10:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक)	द्वितीय पत्र (अपराह्न 02:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक)
13.12.2025	सामान्य अध्ययन (वस्तुनिष्ठ)	विधि विषयक (वस्तुनिष्ठ)

परीक्षार्थियों के लिए प्रवेश-पत्र (Admit Card), उपस्थिति पत्रक (Attendance Sheet) एवं परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश निम्नवत् हैं :-

1. इस परीक्षा के परीक्षार्थियों को प्रवेश-पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे।
2. परीक्षार्थी आयोग के One Time Registration (OTR) पोर्टल पर Login कर अपना प्रवेश-पत्र (Admit Card), उपस्थिति पत्रक (Attendance Sheet) एवं परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश दिनांक-05.12.2025 से डाउनलोड कर सकते हैं।
3. ऑफलाइन आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थी अपने मोबाईल नम्बर अथवा Email ID से आयोग के OTR पोर्टल पर Login कर अपना प्रवेश-पत्र (Admit Card), उपस्थिति पत्रक (Attendance Sheet) एवं परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश प्राप्त कर सकते हैं।
4. यदि परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र (Admit Card) डाउनलोड करने में कठिनाई हो तो आयोग के Helpline No.9431301419/9431301636 अथवा Email ID-jpsc1@jpsc.gov.in पर दिनांक-12.12.2025 तक कार्यदिवस में पूर्वाह्न-10:30बजे से अपराह्न-5:00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।
5. परीक्षार्थियों को निदेश दिया जाता है कि वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र (Admit Card), उपस्थिति पत्रक एवं आवेदन के समय दिये गये फोटो की दो स्वहस्ताक्षरित रंगीन (Colour) फोटो तथा एक वैध (Valid) फोटोयुक्त पहचान पत्र अपने परीक्षा केन्द्र पर अवश्य साथ लाएँ, अन्यथा परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जायेगा।
6. परीक्षार्थी अपने ओ0एम0आर0 शीट में आवश्यक जानकारियाँ प्रविष्ट करने के पूर्व प्रवेश पत्र (Admit Card) एवं ओ0एम0आर0 शीट (OMR Sheet) में अंकित अनुदेशों को भली भाँति पढ़कर ही प्रविष्ट करें। ओ0एम0आर0 शीट (OMR Sheet) में सही एवं वांछित सूचनाएं अंकित नहीं किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थिता रद्द कर दी जा सकती है तथा परीक्षार्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।
7. ओ0एम0आर0 सीट में उत्तर के गोले में वांछित सूचना अंकित करने हेतु ब्लू/ब्लैक बॉल प्वाइंट पेन का ही प्रयोग किया जायेगा। अतः परीक्षार्थियों को निदेशित किया जाता है कि वे अपने साथ परीक्षा कक्ष/हॉल में ब्लू/ब्लैक बॉल प्वाइंट पेन अवश्य लाएँ।

कृ०पृ०उ०

है। अतः परीक्षार्थियों को उनके हित में सूचित किया जाता है कि वे अपने परीक्षा केन्द्र पर कागज/पर्ची, मोबाईल फोन, Electronic Gadget सहित अन्य प्रतिबंधित वस्तुएँ यथा बैग, पाठ्य-पुस्तिकाएँ, खाद्य-सामग्री, कीमती/मूल्यवान सामान एवं अस्त्र-शस्त्र इत्यादि साथ नहीं लायें। इन अनुदेशों का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित परीक्षार्थी के विरुद्ध भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।



9. परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा आरम्भ होने की निर्धारित समय से 30 मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुँचकर अपनी निर्धारित सीट पर बैठ जायें। परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय के पश्चात् आनेवाले परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे। केन्द्राधीक्षक विशेष परिस्थितियों में नियत समय से 15 मिनट विलम्ब तक आने वाले परीक्षार्थी पर्याप्त कारणों से प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं, किन्तु 15 मिनट के उपरान्त किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा-भवन में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
10. दिव्यांग अभ्यर्थी श्रुतलेखक (Scribe) हेतु परीक्षा तिथि से 02 दिन पूर्व वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित अपने केन्द्र पर उपस्थित होकर केन्द्राधीक्षक को प्रार्थना पत्र समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर केन्द्राधीक्षक द्वारा इस निमित्त यथा निर्देशित व्यवस्था किया जायेगा।
11. उक्त परीक्षा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P.(S) (Filing) No.-7217 of 2025 संजीव कुमार महतो एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, W.P(S) (Filing) No-7773/2025; सुधाकर झा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, W.P(S) No-3529/2025; विकाश कुमार गुप्ता एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा समरूपवादों के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगा।
12. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

ह0 / -

परीक्षा नियंत्रक (प्रभारी),
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।